मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-17

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2009 (श्रावण 6, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. स्वागत

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री धर्मजीत सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष एवं सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 21 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 134 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 125 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 35 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की कृष्णानगर कालोनी, भिण्ड में मकानों को खाली कराने की धमकी देने,

(2) श्री अजय यादव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के कृषि उपज मण्डी में अनियमितताएं होने,

(3) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की बालाघाट में नि:शक्तों के क्रत्रिम उपकरण वितरण में अनियमितता होने,

(4) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य की सबलगढ़ क्षेत्र में सूखा पड़ने,

(5) श्री (इंजी.) प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली नगर की पेयजल योजना पूर्ण न किये जाने,

(6) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की अनूपपुर के ग्राम तरेरा में तालाब बनाने में अनियमितता होने,

(7) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की आदिम जाति सहकारी संस्था, रतलाम में अपात्रों को प्रतिनिधि बनाने,

(8) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की हटा क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं का अभाव होने,

(9) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी के करेरा में अवैध शराब की बिक्री होने,

(10) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा में अनियमित विद्युत वितरण करने,

(11) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की सतना के मैहर में पेड़ों की अवैध कटाई करने,,

(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की प्रदेश में छठवें वेतनमान से कर्मचारियों को नुकसान होने,

(13) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की जे.सी. नगर, सागर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की नियुक्ति न करने,

(14) श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य की व्यापम द्वारा जेल प्रहरी परीक्षा में समान फीस ली जाने,

(15) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की मुलताई के बैल बाजार में मवेशियों के लिए अस्पताल न होने,

(16) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की औबेदुल्लागंज के नागपुर मार्ग पर आये-दिन जाम लगने,

(17) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की मंडला जिले के अभ्यारण्य में बैगा आदिवासियों के साथ मारपीट करने,

(18) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर के ग्राम टोलखेड़ी में पेयजल योजना लागू न करने,

(19) श्री चम्पालाल देवड़ा, सदस्य की देवास के बागली के ग्रामों में तूफान से हुई तबाही होने,

(20) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह में जल स्तर नीचे जाने,

(21) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य की सतना के चित्रकूट में तीन बार यात्री कर वसूले जाने,

(22) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की भोपाल के टी.टी.नगर क्षेत्र में गंदा पानी की निकासी हेतु कार्यवाही न होने,

(23) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर की जनपद कराहल में गरीबी की पेंशन बंद होने,

(24) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल के नरेला में सीवेज लाईन में लीकेज से गंदगी फैलने,

(25) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य की सागर के बण्डा एवं शहगढ़ स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के पद भरे जाने,

(26) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य की भोपाल के बैरागढ़ में अपराधियों द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ करने,

(27) श्रीमती नीता पटैरिया, सदस्य की सिवनी में कृषकों को दिये गये संतरे के घटिया किस्म के पौधे होने,

(28) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव,सदस्य की इंदौर अहमदाबाद फोरलेन के भूमि स्वामियों को कम मुआवजा देने,

(29) श्री संजय शाह मकड़ाई, सदस्य की हरदा जिले में आई बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा शीघ्र दिलाने,

(30) श्री सुदर्शन गुप्ता , सदस्य की इंदौर में भारी बारिश से गरीब बस्तियों में पानी भरने से लोगों की मौतें होने,

(31) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष की सहायक यंत्रियों की पदोन्नति सूची नियमानुसार न निकाले जाने,

(32) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की मांझी एवं मझवार जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा न देने,

(33) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की धार के ग्राम दुगनी में महामारी फैलने,

(34) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की जबलपुर में कानून व्यवस्था बिगडने,

(35) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की हरदा जिले की टिमरनी में अतिवर्षा से जनहानि एवं फसले नष्ट होने,
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

4. बहिर्गमन

श्री रामलखन सिंह, सदस्य द्वारा चार वर्षीय बालिका के साथ हुए बलात्कार के प्रकरण में अपराधियों के विरूद्ध शासन द्वारा कार्यवाही न करने के विरोधस्वरूप समाजवादी पार्टी की ओर से बहिर्गमन किया गया।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 पटल पर रखा।

(2) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामाजिक न्याय ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखा।

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 40 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम 8 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य ने प्रदेश के बी.डी. एस. चिकित्सकों की प्रतिवर्ष डिग्री का नवीनीकरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री मूल सिंह, राधेलाल बघेल, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण ने भिण्ड जिले के सहकारी बैंक की शाखाओं में आग से क्षति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने भिण्ड जिले के उमरी थाना प्रभारी द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री रमेश दिलीप भटेरे, ताराचंद बावरिया, भगत सिंह नेताम, रामकिशोर कांवरे, विश्वेश्वर भगत, प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, कमल मर्सकोले, श्रीमती नंदिनी मरावी, सदस्यगण ने बालाघाट जिले के ग्राम सेलवा में डेंगू बुखार से अनेक लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ, सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, आरिफ अकील, प्रद्युम्न सिंह तोमर, रत्नेश सॉलोमन तथा श्रीकांत दुबे आदि कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी होने संबंधी उनकी स्थगन एवं ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर सदन में चर्चा कराने की मांग की गई। अपनी बात कहते हुए वे गर्भगृह में आए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि इस विषय में आसंदी से पूर्व में ही व्यवस्था दी जा चुकी है कि मंत्री जी कल हड़ताली डाक्टर्स को बुलाकर चर्चा करेंगे, जिससे मामला हल हो जाएगा। आसंदी के निर्देशानुसार, कुछ समय पश्चात् सदस्यगण वापस अपने आसनों पर गए।

8. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर जिले में पायलेट प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत लगे ट्रांसफार्मर बंद होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, ऊर्जा, मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री राव राजकुमार सिंह महुअन, सदस्य ने अशोक नगर जिले के आनन्दपुर में स्थापित ट्रस्ट द्वारा आदिवासियों की जमीन बिना शासन की अनुमति से क्रय किये जाने की ओर राज्यमंत्री राजस्व का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया। (चर्चा अपूर्ण)

9. अध्यक्षीय घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि -

"प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण एवं उनके विकास से संबंधित विभिन्न लक्ष्यों की वर्ष 2015 तक प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों व मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों के मध्य परस्पर जानकारियों के आदान प्रदान तथा इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों का रचनात्मक सहयोग लिए जाने के परिप्रेक्ष्य में आज मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2009 को भोजनावकाश में सदन की बैठक समाप्त होने के तुरंत पश्चात् (अपराह्न 1.00 बजे) विधान सभा स्थित मानसरोवर सभागार (ऑडिटोरियम) में विचार-विमर्श का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (Millennium Development Goal) की पूर्ति को आधार बनाकर अपनी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में उपस्थित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण तथा विकास के क्षेत्र में जन-प्रतिनिधि के रूप में हमारी क्या भूमिका हो इस पर सार्थक विचार मंथन करें।"

(अपराह्न 1.02 से 2.35 बजे तक अन्तराल)
उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

10. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक (6) पर चर्चा के पश्चात् -

(7) सर्वश्री विश्वास सारंग, आरिफ अकील, उमाशंकर गुप्ता, सदस्यगण ने भोपाल के जहांगीराबाद थाना अंतर्गत एक दलित महिला की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्य ने जनपद पंचायत शाजापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सरपंच सेवा भत्ता की राशि से सामग्री क्रय किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार पढ़ी मानी गई सूचनाएं -

(9) श्री राधेलाल बघेल, सदस्य की दतिया जिले के वन क्षेत्रान्तर्गत रेत का अवैध उत्खनन किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री वन का वक्तव्य।

(10) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य की अनूपपुर जिले के परासी विद्युत वितरण केन्द्र द्वारा अघोषित विद्युत कटौती किये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(11) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की उज्जैन जिले की सम्पूर्ण तहसीलों में फसल बीमा की राशि न दिये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(12) श्री अंतर सिंह आर्य, सदस्य की बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में भालू के काटने से कई लोगों के घायल होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री वन का वक्तव्य।

(13) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य की होशंगाबाद जिले में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(14) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की इंदौर जिले में अघोषित विद्युत कटौती किये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(15) श्री मोती कश्यप, सदस्य की कटनी जिले के ग्राम सलैया में स्थित कंपनी द्वारा गिट्टी के स्थान पर डोलोमाईट का उत्खनन किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

(16) श्री मूल सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री राव देशराज सिंह यादव, सदस्यगण की अशोक नगर से गुना जा रही बस में बदमाशों द्वारा लूट-पाट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(17) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की कटनी महापौर के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति न दिये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(18) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिला चिकित्सालय में नवजात शिशुओं की मृत्यु होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य की मैहर क्षेत्र में बरगी व्यपवर्तन योजना की नहर से ग्रामीणों की पैतृक सम्पत्ति नष्ट होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री राव देशराज सिंह यादव, सदस्य की गुना स्थित शासकीय नर्सरी में अवैध अतिक्रमण होने संबंधी सूचना तथा उद्यानिकी मंत्री का वक्तव्य।

(21) श्री विश्वेश्वर भगत, डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य की बालाघाट जिले में उल्टी-दस्त से अनेक मौतें होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री बालकृष्ण पाटीदार, सदस्य की इंदौर-खरगौन मार्ग पर पुल निर्माण से आवागमन अवरूद्ध होने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(23) सर्वश्री विश्वास सारंग, आरिफ अकील, सदस्यगण की भोपाल नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों हेतु क्रय की गई वर्दी में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(24) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के अपात्र कृषकों को ऋण मुक्ति योजना का लाभ देकर अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(25) श्री अजय सिंह, सदस्य की सीधी एवं सिंगरौली जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों से बाघ गायब होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री वन का वक्तव्य।

(26) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री पांचीलाल मेड़ा, सुखदेव पांसे, सदस्यगण की बैतूल जिले के आमला पुलिस थाने में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(27) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की दमोह जिले की हटा कृषि उपज मंडी में कृषकों से अनाज की खरीदी न किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(28) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की बालाघाट जिले के नावघाट नीलामी में नामजद रिपोर्ट करने के बाद भी दोषियों पर कार्यवाही न किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य की दमोह जिले में बी.आर.जी.एफ. योजना में शासन के दिशा निर्देशों के तहत कार्य न किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(30) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य की सतना जिले के गांव सभापुर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री राजस्व का वक्तव्य।

(31) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा में प्रभारी कार्यपालन यंत्री द्वारा रोजगार गारंटी योजना के कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(32) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की इंदौर के ग्राम माता बरोड़ी स्थित शासकीय तालाब एवं आम रास्ते पर अतिक्रमण होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री राजस्व का वक्तव्य।

(33) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य की देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में सिंचाई हेतु विद्युत प्रदाय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।.

(34) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के नागदा स्थित विद्यालय की भूमि को बेचे जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(35) सर्वश्री सुरेश चौधरी, एदल सिंह कंसाना, रामनिवास रावत, सदस्यगण की सबलगढ़ में एक व्यापारी से हुई लूट संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(36) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, कुं. विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्यगण की प्रदेश की आंगनबाड़ी में प्रदाय किये जा रहे पोषण आहार में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य।

(37) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के पिछोर एवं खनियाधाना विकास खंडों को कम राशि आवंटित किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(38) सर्वश्री रामलखन सिंह, राजकुमार उरमलिया, रामगरीब कोल, सदस्यगण की प्रदेश के अनेक जिलों में अल्प वर्षा से सूखे से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री राजस्व का वक्तव्य।

(39) सर्वश्री हरेन्द्रजीत सिंह, लखन घनघोरिया, सदस्यगण की जबलपुर नगर निगम द्वारा पाइप लाईन हेतु खोदे गये गड्ढ़ों की मरम्मत न किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(40) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल जिले के गोदना जलाशय के रिसाव से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य की छतरपुर जिले के -

- (क) हनुमान टौरिया स्थित पानी की टंकी के समीप 200 मीटर की रिटेनिंग वाल बनाये जाने,
- (ख) ग्राम नैगुआ व ग्राम दौलान के बीच नाले पर पुल बनाये जाने, तथा
- (ग) जिले में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने,

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

- (क) कृषि उपज मंडी जामनी से आमघाट तक मण्डी निधि से रोड बनाये जाने,
- (ख) ग्राम समरां की पुतनयाऊ तलैया का जीर्णोद्धार किये जाने, तथा,
- (ग) जिला चिकित्सालय में शवगृह निर्माण एवं रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति किये जाने,

(3) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खण्डवा जिले के -

- (क) शहर की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सी.आई.टी. में उन्नयन किये जाने,
- (ख) शहर के शासकीय पालिटेकनिक कालेज को इंजीनियरिंग कालेज में उन्नयन किये जाने,
- (ग) ग्राम सुरगांव बंजारी में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
- (घ) नगर के बाहर ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किये जाने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के -

- (क) तहसील विजयपुर के ग्राम जाखदा की शा. माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने,
- (ख) तहसील विजयपुर के ग्राम दौई की शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने,
- (ग) ग्राम इकलौद की शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
- (घ) ग्राम सहसराम में ग्रामीण बैंक की शाखा खोले जाने,

(5) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले के -

(क) नगर के वार्ड नं. 45 में कसई मण्डी से मोमिनपुरा तक सी.सी.रोड बनाये जाने,

(ख) नगर के वार्ड नं. 28 में गांधी स्कूल से सेवा मण्डल तक डामर रोड बनाये जाने,

(ग) आलोट के ग्राम बर्डिया गोयल के हाई स्कूल में तार फेंसिंग कराये जाने,

(घ) नगर के वार्ड नं.20में लालजीबाग की सरकारी बावड़ी को बंद कर सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,

(ङ) जावरा नगर में खाचरोद रोड पर माधवानंद आश्रम के पास ट्यूबवेल लगाये जाने, तथा

(च) नगर के वार्ड नं. 17 अशोक नगर की झुग्गियों के पास नाले को पक्का करने,

(6) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य की सतना जिले के -

(क) तहसील मैहर में रेल्वे फाटक पर ओव्हर ब्रिज एवं रेल्वे अण्डर ब्रिज बनाये जाने,

(ख) तहसील मैहर के शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय में रिक्त व्याख्याताओं की पद भरने,

(ग) ग्राम बठिया से चोरहटा रोड की नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(घ) तहसील मैहर के ग्राम भैसासुर की शासकीय प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नयन करने,

(ङ) मैहर के ग्राम बराखुर्द की शा. पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने एवं

(च) तहसील मैहर के ग्राम जतेयारी की शा. पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने

(7) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की जबलपुर जिले के -

(क) ग्राम चरगवां, मवई, पोढ़ी, वसुधा, मसंधा गांव में माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन करने एवं

(ख) बहोरीबंद में कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने,

(8) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर जिले के -

(क) वार्ड क्र.14, नूरगंज लोहा मंडी बस्ती में विद्युत आपूर्ति हेतु नवीन तार लगाने,

(ख) वार्ड क्र.16, रेशम मिल लाईन में पुराने पार्क का नवीन सिरे से निर्माण किये जाने,

(ग) वार्ड क्र.16, रेशम मिल लाईन में विद्युत आपूर्ति हेतु 10 खम्बे एवं तार लगाये जाने,

(घ) वार्ड क्र.12, अशोक टाकीज के पीछे शासकीय भूमि पर पार्क निर्माण कराये जाने,

(ङ) वार्ड क्र.6, मोहल्ला भंवर सिंह का बाड़ा झांसीगंज में पेयजल आपूर्ति हेतु बोरिंग किये जाने,

(च) वार्ड क्र.8, मेजर कालोनी गदाईपुरा में विद्युत आपूर्ति हेतु 10 खम्बे एवं तार लगाने,

(छ) वार्ड क्र.8, मेजर कालोनी गदाईपुरा में पेयजल आपूर्ति हेतु लाईन बिछाने,

(ज) वार्ड क्र.8, शिवनगर, शमशान रोड़, गदाईपुरा में सी.सी. मार्ग निर्माण किये जाने तथा

(झ) वार्ड क्र.6, खाराकुंआ लधेड़ी में सी.सी. मार्ग निर्माण किये जाने

संबंधी याचिकाएं पढ़ी मानी गई।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 17 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

(2) श्री अजय विश्नोई (भाषण अपूर्ण)

13. अध्यक्षीय व्यवस्था

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि नियम 139 के अधीन कानून व्यवस्था एवं ऊर्जा के विषयों पर चर्चा पिछले 10 दिनों से लंबित है, इस पर पहले चर्चा कराई जाए। उनके द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि - "आज की कार्यसूची में जो कार्य है, क्रमांक 6 में, नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जब तक चर्चा पूर्ण न हो जाए तब तक सदन की कार्यवाही चलाई जाए।"

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि इस संबंध में कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय को सदन ने पारित किया है। ऐसी स्थिति में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा किस नियम/प्रक्रिया के तहत यह प्रस्ताव लाया जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि आज की कार्यसूची में जो लोक महत्व के विषय है, उनमें नियम 139 के अधीन कानून व्यवस्था एवं ऊर्जा के विषयों पर चर्चा भी सम्मिलित है। वर्तमान में मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पर चर्चा चल रही है, इस पर चर्चा पहले पूर्ण की जाए।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा मांग की गई कि महत्वपूर्ण विषयों पर आज की कार्यसूची के अनुसार पूरी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इन्हें सबसे अन्त में लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - "कार्य मंत्रणा समिति में किन महत्वपूर्ण विषयों पर नियम 139 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा हो, ये सबकी सहमति से तय हुआ। सबसे पहले पेयजल संकट पर चर्चा हुई और उस पर इस सदन में चर्चा कराई गई। उसके बाद फिर दो विषय और लिए गए। आज सुबह नेता प्रतिपक्ष और अन्य साथी मेरे कक्ष में आये थे, मैंने उनसे आग्रह किया कि या तो कार्यमंत्रणा समिति में सदन का समय बढ़ाया जाये या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी से आप चर्चा कर लें और एक सर्वसम्मत राय बना लें तो मैं समय बढ़ाने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसा कोई सर्वसम्मत प्रस्ताव मेरे समक्ष नहीं आया। चर्चा के दौरान किसी तरह का प्रस्ताव मैं नियमानुसार नहीं मानता हूँ। इस विषय पर बजट मांगों पर भी चर्चा हो चुकी है। इसलिए मैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा रखे गए प्रस्ताव तथा उनके व्यवस्था के प्रश्न को अग्राह्य करता हूँ।"

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा आसंदी के प्रति अनुचित शब्दावली का प्रयोग करने पर, अध्यक्ष महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त कर, नियम का पालन करने एवं आसंदी की व्यवस्था पर बहस नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया।

14. बहिर्गमन

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा अपने आसनों पर एक साथ खड़े होकर, शासन द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए, पूरे दिन के लिए सदन से बहिर्गमन किया गया।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री अजय विश्नोई, सदस्य ने विधेयक पर अपना भाषण पूर्ण किया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 64 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 17 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ

16. नामनिर्दिष्ट समितियों के गठन की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम क्रमशः 213, 216(1), 224(1), 231(2), 233(1), 234-ग, 234-घ (2) के अधीन वर्ष 2009-2010 की अवधि तथा नियम 234-ङ (2) के अधीन वर्ष 2009-2011 की अवधि में सेवा करने के लिए निम्नांकित समितियों हेतु सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करते हुए नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को एतद द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

(1) याचिका समिति

1. श्री हरीसिंह रघुवंशी
2. श्री नागर सिंह चौहान
3. श्री शिवमंगल सिंह तोमर
4. श्री विश्वामित्र पाठक
5. श्रीमती नंदनी मरावी
6. श्री हरीसिंह सप्रे
7. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
8. डॉ. कल्पना परूलेकर
9. श्री संजय पाठक
10. श्री उमंग सिंघार
11. श्री पारस सकलेचा "दादा"

श्री हरीसिंह रघुवंशी, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(2) प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री गिरीश गौतम
2. श्री मोहन शर्मा
3. श्री रामलल्लू बैस
4. श्रीमती प्रतिभा सिंह
5. श्री ठाकुरदास नागवंशी
6. श्री संतोष जोशी
7. श्री रोडमल राठौर
8. श्री विश्वेश्वर भगत
9. श्री नारायण प्रजापति
10. श्री लखन घनघोरिया
11. डॉ. निशिथ पटेल

श्री गिरीश गौतम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(3) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री सरताज सिंह
2. श्री देवेन्द्र कुमार जैन (पत्तेवाले)
3. श्री नानाभाऊ मोहोड़
4. श्री महेन्द्र हार्डिया
5. इंजीनियर प्रदीप लारिया
6. श्री रमेश दिलीप भटेरे
7. श्रीमती मालिनी गौड़
8. श्री सुरेश चौधरी
9. श्री अरूणोदय चौबे
10. श्री पांचीलाल मेड़ा
11. श्री मनीराम धाकड़

श्री सरताज सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(4) नियम समिति

1. श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य (पदेन सदस्य)
2. श्री शंकरलाल तिवारी
3. श्री रामप्यारे कुलस्ते
4. श्री शांतिलाल धबाई
5. श्री कमलेश जाटव "एडवोकेट"
6. श्री मोतीलाल तिवारी
7. श्री दिलीप जायसवाल
8. श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
9. श्री प्रियव्रत सिंह
10. श्री हेमराज कल्पोनी

माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा, इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

(5) पुस्तकालय समिति

1. श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)
2. श्री भगत सिंह नेताम
3. श्री इंजीनियर लड्डूराम कोरी
4. श्रीमती आशारानी सिंह
5. श्री अभय कुमार मिश्रा
6. श्री जितेन्द्र डागा (मन्नू)
7. श्री गौतम टेटवाल
8. श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू
9. श्री पुरूषोत्तम दांगी
10. श्रीमती इमरती देवी
11. श्री प्रताप ग्रेवाल
12. श्री ओमकार सिंह

श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(6) पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री शिवनारायण जागीरदार
2. श्री सुदामा सिंह सिग्राम
3. श्री बलीसिंह मरावी
4. श्री रामकिशोर कांवरे (नानो)
5. श्री सुरेन्द्र पटवा
6. श्री बाबूलाल वर्मा
7. श्री बालकृष्ण पाटीदार
8. श्री गोविन्द सिंह राजपूत
9. श्री श्रीकांत दुबे
10. श्री बृजराज सिंह चौहान
11. श्रीमती मीरा यादव

श्री शिवनारायण जागीरदार, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(7) प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री बृजमोहन धूत
2. चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
3. श्री प्रहलाद भारती
4. श्री राजेश कुमार वर्मा
5. श्री गिरिराज किशोर (राजू) पोद्दार
6. श्री विजयपाल सिंह राजपूत
7. श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
8. श्री रमेश मेन्दोला
9. श्री रत्नेश सॉलोमन
10. श्री विजेन्द्र सिंह मालाहेड़ा (विज्जू बना)
11. श्री राधेश्याम पाटीदार

श्री बृजमोहन धूत, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(8) महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति

1. डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
2. श्रीमती उमादेवी खटीक
3. श्रीमती पन्नाबाई प्रजापति
4. श्रीमती नीता पटेरिया
5. श्रीमती गीता रामजी लाल उइके
6. श्री सूर्य प्रकाश मीना
7. श्री सुदर्शन गुप्ता
8. श्रीमती साधना स्थापक
9. श्रीमती गंगाबाई उरैती
10. श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
11. श्रीमती रेखा यादव

डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

17. नियम 239 के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग की लंबित सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके समक्ष निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनायें विचाराधीन हैं :-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा, सदस्य विधान सभा द्वारा डॉ. लेखा तिवारी, चिकित्सक, जिला-चिकित्सालय गुना के विरूद्ध
2. श्री नागर सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर के विरूद्ध.
3. श्री नारायण प्रजापति, सदस्य विधान सभा द्वारा कतिपय व्यक्तियों के विरूद्ध.
4. श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री आर.के.सेन (डी.एस.पी.) के विरूद्ध.
5. डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य विधान सभा द्वारा जिला प्रशासन उज्जैन, आयुक्त जनसंपर्क एवं सिटी केबल, उज्जैन के विरूद्ध.

18. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में व्याप्त विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत तथा तुलसीराम सिलावट, सदस्यगण की चर्चा, उनकी अनुपस्थिति के कारण नहीं हुई।

(2) प्रदेश में हो रहे लगातार अपराधों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की चर्चा, उनकी अनुपस्थिति के कारण नहीं हुई।

19. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उद्‌गार व्यक्त किये गये:-

"यह त्रयोदश विधान सभा का तृतीय सत्र अब समापन की ओर अग्रसर है। तेईस दिवसीय इस सत्र में सत्रह बैठकें हुईं। सदन ने भोजनावकाश स्थगित कर और सदन का समय बढ़ाकर तथा कई बार देर रात तक बैठकर कार्य किया। जिसके कारण सभी विभागों की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा हो सकी है।

इस सत्र में वित्तीय, विधायी कार्यों के साथ साथ लोक महत्व के अनेक कार्य सम्पन्न हुए। सदन ने वर्ष 2009-10 के बजट को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

इस सत्र में 10 शासकीय विधेयक पारित हुए तथा नियम-139 के तहत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराई गई। स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना की ग्राह्यता पर चर्चा हुई जो कि एक कीर्तिमान है। इस सत्र में कुल 5550 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें 3411 तारांकित एवं 2139 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की 124 सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई। सदन में 6 अशासकीय संकल्प पारित किए गए और 343 याचिकाएं प्रस्तुत हुईं। इस सत्र में वित्तीय समितियों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल हेतु सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी सम्पन्न हुई।

सत्र प्रारंभ होने से पूर्व 4 एवं 5 जुलाई को प्रबोधन कार्यक्रम एवं 15 जुलाई को प्रश्न तथा 16 जुलाई को बजट प्रक्रिया पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन आयोजनों का सकारात्मक प्रभाव मैंने माननीय सदस्यों के कार्य एवं दायित्व निर्वहन में स्पष्ट रूप से महसूस किया। विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं में जहाँ सभी सदस्यों ने रूचि दिखाई वहीं अनुदान मांगों की चर्चा में प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों ने जो उत्साह दिखाया उससे मैं अभिभूत हुआ।

वस्तुतः संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन संवाद के ही केन्द्र होते हैं जहां चर्चा, बहस या विचार-विमर्श के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचना अपेक्षित होता है। लोकतंत्र में जहां सहमति आवश्यक है वहीं इसके दूसरे पहलू के रूप में असहमति का सम्मान करना भी आवश्यक होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आपसी सहयोग, सद्‌भाव, सम्मान और समन्वय से ही सदन चलता है। दलीय प्रतिबद्धताओं तथा बहुमत के चलते मतभेद होना स्वाभाविक है किन्तु मतभेद के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। सदनों में जनप्रतिनिधि अपनी प्रतिष्ठा बनाने नहीं अपितु जनभावनाओं को प्रतिष्ठित करने आते हैं। जहाँ वे 'स्व' के लिए नहीं बल्कि सबके लिए आते हैं और आवाज उठाते हैं। वे एक क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के साथ-साथ पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यही संसदीय प्रणाली की विशेषता भी है कि कई बार सारी बातों से ऊपर उठकर सदनों में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय होते हैं जो इस प्रणाली की परिपक्वता के उदाहरण बन जाते हैं। जनता के सेवक के नाते जनता की खुशहाली और प्रदेश के विकास का संकल्प, इस व्यवस्था में हम सभी का उद्देश्य है। हमें इसी रास्ते पर चलकर इन लक्ष्यों को सतत् हासिल करते रहना है। इसी में इस व्यवस्था का औचित्य और हमारी उपादेयता भी निहित है। इसी से हमारा प्रजातंत्र मजबूत होगा।

इस सत्र के संचालन में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री, विपक्ष की नेता एवं उपाध्यक्ष जी का जो सहयोग मिला उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं माननीय सदस्यों एवं सभापति तालिका के सदस्यों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवादे देता हूँ। मैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रांनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकारगणों को भी धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने सदन की पल-पल की कार्यवाही को जनता तक पहुंचाने में महती भूमिका का निर्वहन किया। मैं विधान सभा और शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सुरक्षाकर्मियों को सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अगले सत्र में हम सब पुनः नई ऊर्जा के साथ समवेत होंगे। धन्यवाद।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री; श्री हरवंश सिंह, उपाध्यक्ष महोदय; श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री; श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा भी सत्र समापन के अवसर पर सबके प्रति धन्यवाद् ज्ञापित किया गया।

20. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान **"जन-गण-मन"** का समूह गान किया गया।

अपराह्न 4.39 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.